अंक ६३

नई दिल्ली, मई २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिस की जांच और उनका व्यवहार बच्चे के परम हित में होना चाहिए'

श्री महेश मुरलीधर भागवत

श्री महेश मुरलीधर भागवत, १९६५ बैच आई.पी.एस. अधिकारी तथा वर्तमान में तेलंगाना राज्य की इंटेलिजेंस सुरक्षा शाखा के लिए आई.जी.पी. से ज़ीनत मलिक द्वारा किशोर न्याय कानून में प्रस्तावित विषयों तथा अन्य संबंधित विषयों पर लिये गये साक्षात्कार के महत्वपूर्ण भागों को पाठकों की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
श्री महेश भागवत को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार तथा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिल चुका है। इसके अलावा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में उनके सामुदायिक पुलिसिंग और ऐंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग परियोजनाओं को IACP, U.S.A. का चार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साथ ही, गृह मंत्रालय और यू.एन.ओ.डी.सी. द्वारा मानव तस्करी के विषय पर प्रकाशित होने वाली ७ पुस्तकों में इन्होंने अपना योगदान दिया है।

सर किशोर न्याय कानून २००० में प्रस्तुति संशोधनों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इससे बच्चों द्वारा किये जा रहे अपराधों को नियंत्रण करने में कोई सहायता मिलेगी?

देखिए, पहले जो बच्चे अपराध करते थे और यदि वह २१ वर्ष के बाद पकड़े जाते थे तो उनको व्यस्क माना जाता था और उन्हें व्यस्कों की तरह मुकदमे का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इस संशोधन के बाद ऐसा नहीं होगा कि सभी संघर्षरत किशोरों पर २१ वर्ष के बाद पकड़े जाने पर व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा बल्कि अब ऐसा केवल उन किशोरों के साथ होगा जो ऐसे केसों में आरोपी हैं जो ७ वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय है।

सर, आपको नहीं लगता कि यह प्रावधान उन किशोरों के साथ भेद भाव करता है जहां एक साथ दो लोग कोई संगीन अपराध करते हैं और उनमें से एक उसी समय पकड़ा जाता है और दूसरा २१ वर्ष के होने के बाद पकड़ा जाता है?

हां, ऐसा अभी तो है लेकिन उसमें भी समय के साथ संशोधन होने की सम्भावना है। केवल संगीन अपराधों में ऐसा है पहले तो सभी प्रकार के केसों में ऐसा ही होता था, अभी लघु अपराधों से यह शुरुआत होने दें। २१ वर्ष तक की उम्र में किशोर को निरीक्षण गृह में रखा जाएगा। जब वह २१ वर्ष का हो जाएगा तब उसके व्यवहार और आचरण आदि का आकलन किया जाएगा और फिर अगर समिति उसे जेल में भेजने की सलाह देगी तभी वहां भेजा जाएगा।
सी.आर.सी. १९८९ के दिशा–निर्देशों के अनुसार अव्यस्कता की आयु १८ वर्ष है लेकिन वह २५ वर्ष पहले की बात में कही है और इसक दोहराये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, इस मुद्दे पर भी आपका मत जानना चाहती हूँ कि १६-१८ वर्ष के किशोरों द्वारा संगीन अपराधों में बोर्ड को यह तय करने के लिए बहुत अधिक शक्तियां दे दी गई हैं कि संघर्षरत किशोर के साथ किस प्रकार की कार्यवाही की जाए – अन्य बच्चों के समान या फिर व्यस्कों के अनुरूप? क्या ऐसा करने से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को खतरे में नहीं डाल रहे हैं?

नहीं, बोर्ड को कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है बल्कि उन्हें इंक्वायरी करके अपने सुझाव देने को कहा गया है उसके बाद उचित प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। यहां इसलिए 'इंक्वायरी' शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन, अभी यह मालूम नहीं कि कैसे बगैर किसी सक्षम मनोवैज्ञानिक के परामर्श के बोर्ड अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा। देखा जाए तो हमारे यहां सक्षम मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी है और मुझे समझ नहीं आता है कि इस प्रकार के मानदण्ड का कैसे आकलन करेंगे।
इस कानून के बनने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं अगर मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति तथा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए नियमों में साथ–साथ संशोधन न किया जाए। पिछले कुछ समय में बहुत से ऐसे कानून आए हैं जिनको उचित रूप से लागू करना सम्भव नहीं हो पा रहा है उचित अवसंरचनाओं के कारण – एक कानून आया था इसमें दो साल का दण्ड और २ लाख का जुर्माना था, इसके नियम बनने में ६-७ वर्ष लग गये। तो, कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है जब तक इसको लागू करने के लिए केन्द्रीय नियम न बनाया जाए और फिर उसे राज्यों द्वारा नियम में सम्मिलित न किया जाए।

सर, किशोर न्याय कानून में प्रस्तावित संशोधन में सुधार के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?

मैं बस यही चाहता हूँ कि जो संशोधन कर रहे हैं उसे लागू किया जाए। इसके अलावा मैं अभी इसमें सुधार पर कोई और टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यह कैसे लागू होगा, कब लागू होगा मुझे इस पर ही अभी संदेह है। पिछले दो वर्षों में कितने कानून आए, उनके प्रावधानों में कई स्थानों पर स्पष्टता नहीं है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनयम २०१३ में भी बच्चों के साथ बलात्कार का प्रावधान है और POCSO Act में भी अब एफ.आई.आर. लिखने में दुविधा है कि किस कानून के अंतर्गत लिखें, फिर सत्र अदालत में मुकदमा चलेगा कि विशेष अदालत में?
हालांकि, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पिछले समय में आए सभी कानूनों में दुविधा उत्पन्न होती है। कुछ कानूनों के आने से अपराधों पर पकड़ बेहतर हुई है जैसे पहले मानव तस्करी या ट्रैफिकिंग का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अब भ.द.सं. की धारा ३७० क के अंतर्गत कई केस दर्ज हो रहे हैं और इसका लाभ पीड़ितों को होने वाला है।
इतने कानून बनाने का लाभ तभी होगा जब साथ–साथ कानून लागू कराने वाले पुलिस अधिकारियों अर्थात् थाना स्तर के अधिकारी और स्टाफ को इसका ज्ञान भी तुरंत हो जाए। इसलिए, जैसे ही कोई नया कानून आता है सभी राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों को तत्काल एंव युद्ध स्तर पर राज्य और ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कराने का निर्देश दिया जाए।

सर, क्या आपको लगता है कि सभी राज्यों में तुरंत प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए मानव एंव अन्य संसाधन उपलब्ध हैं?

हमारे यहां तो हम प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हैं और इसको करना ही होगा अन्यथा इसका नुकसान अंततः पीड़ित को ही होगा। संगीन अपराधों में भी चार्जशीट दायर करने की अवधि केवल ३ महीने की होती है तो यह प्रशिक्षण ३ महीनों में अगर हर थाना क्षेत्र में पूर्ण हो जाएगा तभी क्षेत्रवासियों को संबंधित कानून का उचित लाभ हो पाएगा।

क्या आपके विचार में केवल थाना प्रभारियों को ही प्राथमिक चरण में प्रशिक्षण प्रदान करना पर्याप्त है?

नहीं, प्रशिक्षण तो सभी पुलिसकर्मी, सरकारी वकील और न्यायाधीशों का भी होना चाहिए वह भी प्रथम चरण में ही। हालांकि, सबको एक साथ प्रशिक्षित करने में समस्या हो सकती है। इसलिए, एक केन्द्रीय स्थान जैसे दिल्ली में बी.पी.आर. एण्ड डी, नेशनल पुलिस अकादमी और कुछ अच्छे एन.जी.ओ. द्वारा राज्य स्तरीय मनोनीत मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाए फिर, वह ज़िला स्तर पर और ज़िला स्तर वाले थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इससे सीमित समय में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

अंत में, सर थाना स्तर के उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए आपकी सलाह जानना चाहूँगी जो बच्चों के केसों में जांच करते हैं?

सबसे पहले तो मैं उनके प्रशिक्षण पर बल देने की सिफारिश करूंगा कि उन्हें पूर्ण रूप से बच्चों से संबंधित प्रत्येक कानून और दिशा–निर्देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र में बच्चे, चाहे वह पीड़ित हों या फिर संघर्षरत हों, पुलिसकर्मियों को ही उन्हें सम्भालना होता है।
इसके अलावा पुलिस का पूरा व्यवहार और उनकी जांच बच्चे के परम हित में होनी चाहिए। पुलिस को जांच के साथ–साथ कानूनी रूप से उपलब्ध वित्तीय सहयोग को प्राप्त करने में पीड़ित की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए जैसे POCSO Act में उपलब्ध वित्तीय सहयोग या फिर द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में गठित पीड़ित मुआवज़ा कोष।
साथ ही, मेरे विचार में बच्चों से संबंधित केसों की सुनवाई यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए तो उससे दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी।
अंत में, मैं सभी पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित लोगों से यह कहना चहूँगा कि जो बच्चे पीड़ित हैं उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संवेदीकरण करने की आवश्यकता है। हालांकि, किशोर न्याय कानून की धारा २१ के अंतर्गत बच्चे की पहचान उजागर करने पर २५ हज़ार रू. जुर्माना चुकाने का दण्ड भी है लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन आय दिन कभी मीडियाकर्मियों द्वारा और कभी राजनेताओं द्वारा किया जाता है।

बूझो और जीतो-४१

प्रिय पाठकों,
इस खण्ड के अंतर्गत, पिछले कुछ महीनों से इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पाठकों को विशिष्ट विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अनुसार इस बार हम 'बच्चों से संबंधित' कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।
किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या एक १७ वर्षीय युवती के साथ प्रेम प्रसंग के दौरान संभोग करने पर २१ वर्षीय युवक के विरुद्ध बलात्कार का केस चलाया जा सकता है?
२. क्या किसी बच्चे द्वारा किये गये अपराध का विवरण और उसको दिये जाने वाले दण्ड की सूचना आर.टी.आई. के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है?
३. क्या किसी १५ वर्षीय ऐसे बच्चे की फोटो पुलिस टी.वी.चैनलों और समाचारपत्रों में देकर उसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जनता से अपील कर सकती है, जो नशीली दवाईयों को स्कूली बच्चों में बेचने का आरोपी है?
४. क्या किसी १६ वर्षीय हत्या के आरोपी को ज़मानत न देकर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है?
५. आम तौर पर किसी आरोपी बच्चे के विरूद्ध इंक्वायरी कितने दिनों में पूरी की जानी चाहिए?

बूझो और जीतो – ३८ का परिणाम

१. एक नागरिक होने के नाते हमारे १० बुनियादी कर्तव्य हैं जो संविधान के अनुच्छेद ५१ क में निर्धारित किये गये हैं।
२. संविधान के अनुच्छेद ५१ क (क) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे।
३. हां, महिलाओं के प्रति भी नागरिकों का विशेष दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद ५१ क (ड) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक दायित्व है कि वह ऐसे प्रचलनों से बचें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं।
४. संविधान के अनुच्छेद ५१ क (झ) में नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने को कहा गया है।
५. संविधान के अनुच्छेद ५१ क (घ) में सभी नागरिकों को देश की रक्षा करने को कहा गया है।

विजेता

इस बार हमें किसी भी प्रविष्टि में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिले हैं, इसलिए इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिज़ार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१८०००, ४३१८०२१५
फैक्स: ९१ ११ २६८९४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जो पुलिसकर्मी उत्पन्न करे, चापलूस नहीं !

२ मई को एक पुलिसकर्मी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को मार डाला, दूसरे को ज़ख्मी कर दिया, और फिर स्वंय को गोली मार लिया – इतना सबकुछ छुट्टी लेने पर अनुशासित किये जाने के लिए। यह केवल परिवार के लिए एक दुःखद घटना नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से देखे जाने की ज़रूरत है कि क्यों छोटी दिखने वाली चीज़े बड़ी त्रासदी कर गुज़रती हैं।

किसी बेहद असंवेदनशील व्यक्ति के लिए भी दो मौत कहीं न कहीं बड़े प्रश्न खड़े करता है। प्रबंधन–कर्मचारी का कैसा संबंध, किस प्रकार की कार्य–स्थिति किसी पुलिसकर्मी को इस प्रकार के कठोर क़दम उठाने के लिए मजबूर करते हैं? किसी अस्थिर अधिकारी को हथियार रखने और लेकर घूमने का लाईसेंस देने के लिए क्या प्रोटोकॉल हैं?

उपरोक्त कुछ सवालों के जवाब हम जानते हैं; वे बहुत सुखद नहीं हैं। हम जानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों और संपूर्ण महकमे के बीच का संबंध सामंती–वर्गीकृत है। यह कार्य क्षमता के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित नहीं है बल्कि इनके बीच मालिक–नौकर का रिश्ता है। 'अनुशासन' के नाम पर इसे बनाए रखा जाता है, वास्तव में इसकी वजह से निचले अधिकारियों के प्रति ताकत का दुरुप्योग उत्पन्न होता है और उच्च अधिकारियों में तिरस्कार और धूर्तता। यह लोगों को प्राधिकार की सेवा में रहने वाला चापलूस बनाता है न कि कानून को सर्वोपरि रखने वाला स्वाभिमानी उन्नतिशील व्यक्ति।

एक ऐसा माहौल जो दासता की अपेक्षा करता है और क्रूरता को सहन करता है, खराब कार्य स्थिति आक्रोश पैदा करने के लिए आसान फ्लैश प्वाइंट वातावरण बनाता है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक प्रत्येक आयोग, इंक्वायरी, पुलिसिंग पर हुये हर विश्लेषण के संचयी निष्कर्ष में यही कहा गया है कि तनावपूर्ण और ख़तरनाक माहौल में कार्य अवस्था को बदलने तथा अधिक और बेहतर प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है।

फिर भी, सब मिलाकर प्रशिक्षण वैसा ही है जैसा हमेशा हुआ करता है, थोड़ा बहुत तकनीक मिलाकर एक ऐसा पाठ्यक्रम जो जनबल को आधुनिक पुलिसबल के रूप में विकसित करने के लिए अनुपयुक्त है।

इससे भी बदतर यह है कि आज भी पैदल सिपाहियों और अधिकारियों के बीच औपनिवेशिक समय की ऊँची वर्गवादी परंपरा क़ायम है। कमिश्नर और कांस्टेबल के बीच संबंधों में समानता को बढ़ावा देने की कोई प्रकृति नहीं है।

जनबल का दुःख

महाराष्ट्र में, करीब ५६६ लोगों के लिए एक पुलिसकर्मी है, जबकि दिल्ली में २५० लोगों के लिए एक है। लगभग १२,११५ पुलिसकर्मियों की कमी है। यह संख्या भी केवल आधी कहानी ही बतलाती है। अन्यायपूर्ण ग्रामीण–शहरी अनुपात, वी.आई.पी. सेवा में उपयुक्त अत्यधिक संख्या, और कर दाताओं द्वारा समर्थित पुलिसकर्मियों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अर्दली, ड्राईवरों, सुरक्षागार्ड और साधारण तौर पर सलामी ठोकने वाले कठपुतलियों के रूप में उपयोग, पुलिसिंग के मुख्य कार्यों का बोझ केवल कुछ ही पुलिसकर्मियों के कंधों पर डाल देता है।

काम से छुट्टी मिलना वरिष्ठ अधिकारियों की मनमर्ज़ी पर निर्भर होता है, जिन्हें अपनी खुशी पहले देखनी होती है। परिवार उपेक्षित हो जाते हैं, गैरहाजिर पिताओं और पुत्रों को आरोपों और अपराधबोध के साथ रहना होता है और अयोग्यता तथा बेबसी का भाव लगातार बना रहता है जो दबे हुए गुस्से के रूप में नित्य क़ायम रहता है।

यही हाँथ खतरनाक हथियार – पिस्तौल, रिवॉल्वर, ए.के.४७, एस.एल.आर. पकड़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी को कोई भी हथियार थामने के लिए अलग से किसी लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। हथियारों का औपचारिक प्रशिक्षण प्राथमिक प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है। इसके बाद, साधारणतः समय–समय पर हथियारों के रेंज के अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चुँकि न तो पदोन्नति और न ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट हथियारों की योग्यता दर्शाने की आवश्यकता से प्रभावित होती है, यह अनिश्चित है कि कितनी ईमानदारी से रिफ्रेशर करवाया जाता है। न तो आरम्भ में और न ही बाद के वर्षों में व्यक्ति के हथियार थामने और उसका उपयोग करने की योग्यता का मनोवैज्ञानिक आकलन किया जाता है।

इनमें से कोई भी हत्या, स्थानीय हिंसा, शक्ति के दुरुपयोग, आपराधिक दुराचार, पुलिसिंग में लगातार बुरे कार्य निष्पादन को क्षमा योग्य नहीं बताता लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं इसकी व्याख्या तो करता ही है।

वकोला में हत्या–आत्महत्या ऐसी पहली घटना नहीं है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के तिकमगढ़ में एक ५० वर्षीय डी.एस.पी. और इंस्पेक्टर ने एक झड़प के बाद एक दूसरे को अपने सर्विस रिवॉल्वर से मार डाला था। ऐसे कई केस हैं। लेकिन, किसी के बाद भी गहन जांच या नीति परिवर्तन नहीं किया गया।

इस दुहरी मौत की दुःखद घटना भी संयोजित हो जाएगी यदि पर्यवेक्षी वर्ग इसे भी ऐसी ही एक आई–गई घटना मानकर नज़रअन्दाज़ कर दें और इस चोट को अधिक जनबल, बेहतर प्रशिक्षण, सरल कार्य अवधि और सख़्त कार्य निष्पादन मानदंड के लिए न उपयोग करें।

वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्वंय को बेहतर करने आंतरिक गुलामी तथा अंधे अनुसरण को विघटित करने के लिए अनुशासित करने की ज़रूरत है और इसके स्थान पर कार्य–निष्पादन का पारदर्शी आकलन और सबके लिए जवाबदेही लाने की ज़रूरत है। तब तक ऐसा लगता है कि जनता और पुलिस संस्थापना को भी बगैर सुधरी हुई पुलिसिंग के परिणाम भुगतने होंगे।

– माया दारूवाला

• पुलिसकर्मी चाहिए चापलूस नहीं...

पुलिस के मानसिक दबाव को कम करना आवश्यक!

एक पुलिस अफ़सर ऐसा भी !

ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में ऐसे पुलिसकर्मी नहीं हैं जो अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह करने और समुदाय के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए उनसे सीधे संपर्क नहीं बनाते या फिर उनके सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करते। दिल्ली के निज़ामुद्दीन बस्ती के लोगों को ऐसे ही एक हमदर्द का साथ मिला हुआ है।

वसीम अकरम (२१) का केवल एक ही सपना है रियाल्टी टी.वी. शो 'इंडिया गॉट टैलेंट' में अपने डांस के हुनर का जादू पूरी दुनिया को दिखाना। इस सपने को पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत कर रहा है। वह चार घंटे रोज़ प्रैक्टिस करता है और उसके साथ तकरीबन १०० और बच्चे हैं जो बस्ती निज़ामुद्दीन के सामुदायिक केन्द्र में डांस प्रैक्टिस करते हैं।

यह सब ५ महीने पहले शुरू हुआ जब बस्ती निज़ामुद्दीन के एस.एच.ओ. वेद प्रकाश ने वहां गश्त के दौरान ४ बच्चों को स्थानीय लोगों को अपने डांस का हुनर दिखाते हुए देखा। प्रकाश उनके डांस से प्रभावित हुए और नज़दीक से देखने के लिए अपनी गाड़ी वहां रोक दी। तुरंत उन्होंने बच्चों को बुलाया और पूछताछ की। बच्चों के अनुसार – 'पहले तो हम डर गये और शोर करने के लिए उनसे क्षमा मांगी। हालांकि, जब उन्होंने हमारे हुनर की प्रशंसा की तो हम हैरान रह गये।'

प्रकाश ने पता लगाया कि वे निज़ामुद्दीन बस्ती के बच्चे हैं और यह सोचा कि यदि उन्हें औपचारिक डांस प्रशिक्षण दिया जाए तो वे अपने हुनर से कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने अपने बीट कर्मचारी एस.आई. सतेन्द्र गुलिया और कांस्टेबल हंसा राम को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई।

प्रकाश ने बताया कि "पहले उन्होंने इन बच्चों के माता–पिता, अभिभावकों को यह बताया और आश्वासन दिया कि वह उनसे कोई फीस आदि नहीं लेंगे। हमने दिल्ली स्थित एक डांस कोरियोग्राफर से ८००० रु. फीस पर संपर्क किया जो पहले श्यामक दावर की डांस एकादमी से संबंधित था। फिर, इनके सीखने के लिए कहीं जगह नहीं थी तो एक नज़दीकी कार्पोरेशन स्कूल के प्रधानाचार्य से शाम को स्कूल अहाते में इन्हें प्रैक्टिस करने की आज्ञा देने को कहा। डांस फ्लोर बनाने के लिए कुछ गद्दे, एक रूम साईज़ शीशा ख़रीदा गया। प्रारंभ में केवल ४ लड़के आते थे फिर उनके हुनर को देखकर तकरीबन ६५ दूसरे लड़कों ने भी यहां आना शुरू कर दिया है।"

प्रकाश ने इस समूह को एक नाम भी दिया है पुलिस इंटरटेनमेंट टीम (PET) और बच्चों ने अपने ग्रुप को 'डांस आई कैन'(Dance I Can) नाम दिया है। पुलिस ने इन्हें डांस पोशाक दिलवाये हैं और अब यह बच्चे अपना हुनर दिखाने आयोजनों में जाते हैं। इनमें से एक बच्चा एक मशहूर रियल्टी डांस शो में भी चयनित हुआ था। हालांकि, तीसरे राउंड में वह बाहर हो गया था। लेकिन २२ वर्षीय अब्दुल रहमान कहता है कि – 'मेरे लिए यह अविश्वसनीय है कि कोई पुलिस अधिकारी हमें बचाने के लिए इस तरह आयेगा। हमलोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि एक दिन हमें अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा और हम कुछ बड़ा करेंगे।' ऐसा ही कुछ उसकी मां ने भी कहा कि पुलिसकर्मियों को हमेशा कठोर माना जाता है लेकिन उन्होंने इन बच्चों को कुछ अच्छा करने का अवसर दिया।

जहां एक ओर पुलिस की बर्बता और आमजनों से दुर्व्यवहार की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं वहां ऐसे नवीन और विचारशील पुलिस अधिकारी को हमारा सलाम! वास्तव में, यह सामुदायिक पुलिसिंग का एक बहुत सुन्दर उदाहरण है। हम आशा करते हैं कि ऐसी पहल दूसरे लोगों द्वारा भी की जा सकती है और यह दूसरों को कुछ नया करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

(सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १८ मई २०१५)

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

Source: http://indianexpress.com/article/cities/delhi/police-officer-helps-street-children-put-on-dancing-shoes/

पुलिस की डांस अकादमी!

तथ्य एवं आंकड़े

संपर्परत बच्चों से संबंधित कुछ तथ्य	संबंधित आँकड़ा
कुल भ.द.सं. केसों में किशोरों की भागीदारी	१.२ %
किशोरों द्वारा भ.द.सं. के केसों में बढ़त	१३.६%
किशोरों द्वारा बलात्कार के केसों में बढ़त	६०.३%
किशोरों द्वारा महिलाओं का शीलभंग करने के लिए प्रहार के मामलों में बढ़त	१३२.३%
भ.द.सं. के अंतर्गत पकड़े गये किशोरों में से १६–१८ वर्ष के थे	६६.३%
कुल पकड़े गये किशोरों की संख्या थी	४३,५०६
चोरी के लिए सबसे अधिक किशोर पकड़े गये	७,९६९
पकड़े गये किशोरों में से अनपढ़ों की संख्या थी	८,३९२
५०.२ : पकड़े गये किशोरों के परिवार की वार्षिक आय थी	२५,०००/-INR
पकड़े गये किशोरों में से माता पिता के साथ रहने वालों की संख्या थी	३५,२४५(८१.०%)

सौजन्य: बी.पी.आर.एण्ड डी. की रिपोर्ट २०१३ (आँकड़े १ जनवरी २०१३ तक)

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इस बार POCSO कानून की धारा ३६ के अंतर्गत बनाये गये दिशा–निर्देशों के मसौदे में से कानून के अंतर्गत बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण के दौरान विभिन्न नियमों और चिकित्सकों आदि की ज़िम्मेदारियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पुलिस को जांच में भी सहायता मिलेगी। इस अध्याय का पहला भाग यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्याय – ४
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य व्यवसायी

१. अधिनियम और नियमावलि तथा संबंधित कानूनों में उपयुक्त विधिक प्रावधान :
धारा २७ – चिकित्सीय परीक्षण

२७ (१) किसी ऐसे बच्चे का चिकित्सीय परीक्षण जिसके साथ इस कानून के अंतर्गत अपराध घटित हुआ है, तब भी द.प्र.सं. की धारा १६४ क के अनुसार किया जाएगा जबकि इसकी एफ.आई.आर. या शिकायत नहीं दर्ज की गई हो।
(२) अगर पीड़ित कोई लड़की है, चिकित्सीय परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा।
(३) चिकित्सा जांच बच्चे के माता पिता या ऐसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर बच्चे को विश्वास हो।
(४) जहां, अर किसी कारण वश उपरोक्त अनुसार चिकित्सा जांच के समय बच्चे का संबंधी उपलब्ध न हो, चिकित्सीय जांच चिकित्सा संस्था द्वारा मनोनीत किसी महिला की मौजूदगी में किया जाएगा।

नियम ५ – इमरजेंसी चिकित्सीय देख भाल :
(१) जहां स्पेशल जूवनाईल पुलिस यूनिट (एस.जे.पी.यू.), या स्थानीय पुलिस कानून की धारा १६ के अंतर्गत अपराध घटित होने पर इस बात से संतुष्ट है कि जिस बच्चे के विरुद्ध अपराध हुआ है उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है, जहां तक सम्भव हो इस सूचना के प्राप्त होने के २४ घंटों के भीतर और इसके ऐसे बच्चे को इमरजेंसी चिकित्सा के लिए नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सीय देख रेख सुविधा केन्द्र पर ले जाएगा :
जबकि यदि अपराध कानून की धारा ३, ५, ७ या ६ के अंतर्गत घटित हुआ है, पीड़ित को इमरजेंसी चिकित्सीय देख भाल के लिए रेफर किया।
(२) इमरजेंसी चिकित्सीय देख–रेख बच्चे की व्यक्तिगतता को सुरक्षित रखते हुए तथा बच्चे के माता पिता या किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में किया जाना चाहिए जिस पर बच्चे को विश्वास हो।
(३) कोई भी चिकित्सक, अस्पताल या चिकित्सा केन्द्र जो इमरजेंसी चिकित्सा सुविधा दे रही हो, ऐसी देख–रेख करने के पहले किसी भी कानूनी या मजिस्ट्रेट के दस्तावेज़ को लाने की मांग नहीं करेगा।
(४) पंजीकृत चिकित्सीय अधिकारी बच्चों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरी करेंगे जिसमें सम्मिलित होगा –
i. कटने, चोट और दूसरे ज़ख्मों का ईलाज, यदि कोई जननेंद्रीय चोट है तो उसका इलाज,
ii. यौन संक्रामित रोगों से अनावरण या यौन संक्रामित रोग हों तो उसके लिए प्रोफिलैक्सिस
iii. एच.आई.वी. का इलाज जिसमें संक्रमक रोगों के विशेषज्ञ के परामर्श के बाद एच.आई.वी. के लिए प्रोफिलैक्सिस देना,
iv. युवतियों के संभावित गर्भधारण और आपातकालीन गर्भनिरोधक के बारे में उसके माता–पिता या अन्य व्यक्ति जिस पर बच्ची को विश्वास हो, से चर्चा करना, और,
v. जहां कहीं भी आवश्यक हो, मनोवैज्ञानिक, मानसिक या दूसरे परामर्श देने के लिए रेफर किया जाना चाहिए।
(५) इमरजेंसी चिकित्सीय देखरेख के दौरान किसी भी प्राकर के फौरेंसिक साक्ष्य को कानून की धारा २७ के अनुसार एकत्रित किया जाना चाहिए।

२. इमरजेंसी चिकित्सीय देखरेख :
पुलिस को जैसे ही बच्चे के विरुद्ध POCSO कानून के अंतर्गत अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है वैसे ही बच्चे को इमरजेंसी चिकित्सीय देखरेख के लिए अस्पताल ले जाया जा सकता है। ऐसे केसों में अधिनियम की नियमावलि २०१२ में उल्लेखित है कि बच्चे को सबसे नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सीय सुविधा केन्द्र में ले जाया जाए। यह सरकारी या निजी दोनों हो सकते हैं।
इसी बात को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, २०१२ की धारा २३ में दोहराया गया है और जिसकी धारा ३५७ ग में कहा गया है कि सभी अस्पतालों को यौन अपराधों के पीड़ितों को मुफ़्त इलाज या प्रारंभिक उपचार करना है।

२.१. चिकित्सीय परीक्षण :
चिकित्सीय परीक्षण कानून, POCSO २०१२ की धारा २७ और द.प्र.सं. की धारा १६४ क के अंतर्गत की जानी चाहिए, जो कहता है :
(१) जहां, बलात्कार या बलात्कार के प्रयत्न के अपराध की जांच हो रही हो, यह प्रस्तावित है कि जिस महिला के साथ बलात्कार या बलात्कार का प्रयत्न किया गया है उसकी शारीरिक जांच किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से करवाई जाएगी, वह विशेषज्ञ रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी होगा जोकि किसी सरकारी अस्पताल या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित स्वस्थ्य केन्द्र में कार्यरत होगा और उसकी अनुपस्थिति में किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा, महिला या उसकी ओर से सहमति दे सके और ऐसी महिला को अपराध की सूचना मिलने के बाद रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास २४ घंटों के भीतर भेजा जाएगा।
(२) जिस रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास महिला को भेजा जाएगा, वह बगैर विलंब के उसकी जांच करेगा और उसकी जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा,
(i) महिला और जिसके द्वारा उसे लाया गया था उसका नाम व पता,
(ii) महिला की आयु
(iii) डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
(iv) महिला के शरीर पर पाए गये चोटों का निशान, अगर हो तो
(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति
(vi) दूसरे आवश्यक विवरण उचित विवरण के साथ।
(३) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुँचने का संक्षिप्त कारण दर्ज होगा।
(४) रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज होगा कि ऐसे जांच की सहमति महिला या सक्षम व्यक्ति से ली गई है।
(५) रिपोर्ट में परीक्षण का समय और इसे पूरा करने में लगने वाला समय भी दर्ज होगा।
(६) रजिस्टर्ड चिकित्सक बगैर किसी विलंब के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा जो इसे द.प्र.सं. की धारा १७३ के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजने वाले दस्तावेज़ों में शामिल करके उन्हें भेज देगा।
(७) इस धारा के अंतर्गत महिला या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति के बगैर किसी भी परीक्षण को कानूनी नहीं माना जाएगा।
उपरोक्त कानूनी प्रावधान में "महिला" के स्थान पर "बच्चे" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए और इसे POCSO कानून के संदर्भ में उपयोग किया जाना चाहिए।

२.२ चिकित्सा खर्च के लिए मुआवज़ा :
धारा ३८ (८) कहता है :
"उचित केसों में, विशेष अदालत, दण्ड के अलावा, बच्चे को मानसिक और शारीरिक सदमा पहुंचाने या उसके तत्काल पुनर्वास के लिए मुआवज़े का भुगतान करने का भी निर्देश दे सकती है।"
नियम ७ इस भुगतान के बारे में आगे विवरण प्रदान करता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष अदालत मुआवज़ा मुकदमे के बाद देने के बजाय एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद बच्चे की तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करने या उसके पुनर्वास के लिए मुकदमे के किसी भी चरण में इसका भुगतान करने का निर्देश दे सकती है (नियम ७-१)। इसमें बच्चे की कोई भी चिकित्सीय आवश्यकता शामिल हो सकती है। मुआवज़ा निश्चित करने का पैमाना बच्चे को पहुंचने वाली मानसिक और शारीरिक सदमे की तीव्रता और उसके मानसिक या/और शारीरिक इलाज में होने वाले ख़र्चे, और अपराध के कारण बच्चे में उत्पन्न कोई विकलांगता होगा। इसलिए, इलाज में होने वाले खर्चे की प्राप्ति बच्चा इस प्रकार कर सकता है।

Source :
www.coloring-pages-kids.com

बच्चों के साथ पुलिसिंग ऐसी हो

३. बच्चों की चिकित्सा परीक्षा करने का तौर तरीका

३.१. POCSO Act के संदर्भ में चिकित्सकों की भूमिका
POCSO Act के अंतर्गत डॉक्टरों की दोहरी भूमिका है। वह इस स्थिति में होते हैं कि यह पता लगा सकें कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या हो रहा है। किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है कि नहीं यह पता लगाने के लिए भी सबसे पहले डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की भूमिका में शामिल हो सकते हैं –
(i) यौन उत्पीड़न की गहराई से समझ रखना
(ii) बच्चे के अनुभव के बारे में, सुगमता से सहानुभूति रखते हुए और गैर आलोचनात्मक चिकित्सा इतिहास प्राप्त करना
(iii) ऐतिहासिक विवरण को ध्यानपूर्वक लिखना
(iv) किसी शेष और स्थायी सदमे या यौन संक्रमण से होने वाली बिमारियों का पता लगाने और फौरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए विस्तृत परीक्षण करना
(v) ऐसे व्यवहारिक शिकायतों के अंतरीय लक्षण और शारीरिक चिन्हों को ध्यान में रखना जो यौन हिंसा का संकेत देते हों
(vi) शोषण के कारण होने वाले सभी प्रकार के लक्षणों के परिणाम का फोटोग्राफ तथा वीडियोग्राफी रखना
(vii) एक पूर्ण और विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करना जिसमें रोग की पहचान और इलाज के लिए सलाह भी शामिल होगा
(viii) जब आवश्यकता हो तो अदालत में गवाही देना
कम से कम तीन विभिन्न परिस्थितियां हैं जब कोई सीधा आरोप नहीं होता है लेकिन डॉक्टर यौन दुर्व्यवहार की जांच कर सकते हैं और उन्हें माता–पिता और बच्चे से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। इसमें सम्मिलित हैं लेकिन सीमित नहीं है :
(i) जब एक बच्चे की शिकायत हो जो सीधे यौन दुर्व्यवहार किये जाने की सम्भावना से जुड़ी हो, जैसे कि एक लड़की जिसकी योनि से रिसाव हो,
(ii) जब एक बच्चे की शिकायत हो जो सीधे यौन दुर्व्यवहार की सम्भावना से नहीं जुड़ा हो, जैसे कि पेड़ू में दर्द और सूजन,
(iii) जब बच्चे की कोई शिकायत न हो लेकिन प्रासंगिक जांच का परिणाम हो जो डॉक्टर को शक में डाल दे जैसे कि बढ़ा हुआ हायमन रिंग।

३.२. अनिवार्य रिपोर्ट देना :
जब डॉक्टर के पास यह संदेह करने का तार्किक कारण मौजूद हो कि बच्चे के साथ यौन दुराचार हुआ है या हो रहा है और उसे उचित प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट करनी चाहिए (जैसे कि पुलिस या बच्चे के संस्था के उपयुक्त अधिकारी को, जो बाद में पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं)। ऐसा करने में विफल होने की स्थिति में, ६ महीने तक का दण्ड हो सकता है, जुर्माना या जुर्माने के बगैर।

(नोट: इस अध्याय के दिशा निर्देश के मसौदा का शेष भाग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा।)

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

नमस्कार महाशय,
मैं, जय कृष्ण कुमार, सचिव उष रेडियो श्रोता संघ, करंजा, बांका (बिहार) एंव समन्वयक – जगदीश चन्द्र बसु विज्ञान क्लब, करंजा, बांका (बिहार), आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका ***लोक पुलिस*** हमारे पते पर भिजवाने की कृपा करें ताकि हम इसके विषयवस्तु को पढ़कर लाभान्वित हो सकें। इस कार्य के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे।
आपका मित्र
जय कृष्ण कुमार
बांका (बिहार)

सम्पादक महोदय,
लोक पुलिस अंक ५६ मैंने पढ़ा। मैं झारखण्ड ज़िला बल की पुलिस में अपर निरीक्षक हूँ। इस विभाग में रहते हुए मैंने लगभग ३० वर्ष गुज़ार दिये हैं और विभाग से संबंधित अच्छे बुरे अनुभवों से गुज़री हूँ। आपके द्वारा एक प्रश्न कि "आधी आबादी के लिए पुलिसिंग में ३३% भागीदारी आवश्यक" से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। क्योंकि, सिर्फ संख्या बढ़ा देने से, टारगेट पूरा करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह सही है कि इस विभाग में आना महिलाओं के लिए गौरव की बात होती है। परन्तु विभाग में आने के बाद उन्हें दो ज़िम्मेदारियों का एक साथ निर्वाह करना कठिन हो जाता है और इसी वजह से मैंने कई महिला पुलिसकर्मियों का घर बिखरते हुए देखा है। दूसरी बात यह भी है कि कई जगहों पर महिला पदाधिकारी/कर्मियों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है तथा बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं हो पाती है। तीसरी बात यह है कि अपराधी जोकि शारीरिक रूप से अधिक बलशाली होते हैं जिन्हें स्वंय अपने बल बूते पकड़ लेना सम्भव नहीं है। अतः मैं महिलाओं को ३३% नहीं २५% भागीदारी पर सहमत हूँ।
अज्ञात

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिसकर्मियों के व्यवहार की निगरानी के लिए थानों में कैमरे

पुलिस पर नज़र रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने को कहा है। न्यायालय ने २२ अप्रैल २०१५ को दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो महीनों के भीतर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने को कहा है।

शिकायतकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर चिंता जतलाते हुए मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू और न्यायाधीश एस.ए.बोब्डे ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय के भीतर दिल्ली के सभी थानों में प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाये जाएं और जब कमिश्नर इसके लगाने के बारे में रिपोर्ट दायर करें तो उसमें यह भी लिखें कि कितने कैमरे लग चुके हैं और उनमें से कितने चालू हैं।

"उन्हें एक हलफ़नामा दायर करने दें और हमें बतलाने दें कि उन्होंने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवा दिये हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो उनमें से कितने वास्तविक रूप में क्रियाशील हैं। कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट में इस जानकारी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए" खण्डपीठ ने कहा।

यह आदेश उस घटना के बाद आया है जहां पिछले वर्ष अप्रैल में उच्चतम न्यायालय की एक महिला वकील के साथ दिल्ली के थाने में कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया था। दूसरी महिला वकील महालक्ष्मी पवानी के पत्र के आधार पर, अदालत ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है।

अदालत ने वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया को इस केस में एमिकस भी नियुक्त किया है और उनसे इस मामले में सलाह देने को भी कहा है।

हालांकि, अगले दिन ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने एमिकस के तकरीबन सभी मशवरों को स्वीकार कर लिया, इसके बाद अदालत ने केस को जांच के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भेज दिया। अदालत ने स्पेशल सेल को इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने को कहा है और इसमें शामिल सभी लोगों की जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, की जांच करने को कहा है। इसकी जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी और अगली तारीख़ पर इसकी रिपोर्ट दायर की जाएगी। हालांकि, अदालत ने एमिकस के इस निवेदन को ख़ारिज कर दिया कि जब तक जांच विचाराधीन है तब तक आरोपी पुलिसकर्मियों को दूसरे थाने में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।

पुलिस के दुर्व्यवहार को रोकने में सी.सी.टी.वी. कैमरों के लगाने से शायद थोड़ी कमी आएगी लेकिन वास्तविक समस्या उनकी विचारधारा को बदलने की है।

(सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, २३ अप्रैल २०१५)

राज्यों को गृह मंत्रालय का संदेश

दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल द्वारा एक महिला पर ईंट उठाकर फेंकने की घटना को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने १७ मई को एक ऐडवाज़री जारी करके सभी राज्यों, केन्द्र शासित राज्यों को अपराधों के लिए संवेदनशील सड़कों पर बीट कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाने, दूरस्थ और एकांत इलाकों में सहायता बूथ स्थापित करने और रात में सख़्त पेट्रोलिंग करने को कहा है।

ऐडवाइज़री में मोबाईल वैन में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है और सार्वजनिक वाहनों में कंडक्टरों और ड्राईवरों का पूरा सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया है।

शिकायत करने में आने वाली परेशानियों से महिलाओं को बचाने के लिए कहा गया है कि, अगर एफ.आई.आर. दर्ज करने के समय, यह साफ़ हो जाता है कि अपराध थाने के अधिकार–क्षेत्र से बाहर हुआ है, पुलिस को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह 'ज़ीरो' एफ.आई.आर. दर्ज करे और सुनिश्चित करे कि उसे संबंधित थाने में हस्तांतरित कर दिया गया है।

केन्द्र ने चेतावनी दी है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी बलात्कार, तेज़ाब फेंकने, यौन प्रताड़ना और मानव तस्करी से संबंधित केसों में सूचना दर्ज करने में विफल होता है तो उसे कम से कम ६ महीने से २ वर्षों तक के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है, "यह आरोप लगाया जाता है कि आपराधिक कानून संशोधन (अधिनियम) २०१३ के बनने के बाद भी भारतीय दण्ड संहिता की उचित धारा के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से जघन्य अपराधों पर रोक नहीं लग रही है और अपराध के आंकड़ों की मिथ्या प्रस्तुति हो रही है। वर्तमान कानूनों के सबसे अच्छे उपयोग के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों का उचित संवेदीकरण ज़रूरी है। एक जेंडर संवेदी इंडेक्स बनाया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों की क्षेत्र में नियुक्ति के निर्णय के समय उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।"

एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि २०११-२०१३ में जहां बलात्कार के केसों में ६० प्रतिशत केसों में जांच पूर्ण थी, केवल ४ प्रतिशत केसों में ही अपराधसिद्ध हुआ है। ऐडवाईज़री में कहा गया है कि इसी प्रकार का पैटर्न दूसरे प्रकार के अपराधों में भी देखने को मिला और यह गहरी चिंता की बात है कि दण्ड का निवारक महत्व लगातार कम हुआ है और अपराधियों को प्रोत्साहन मिला है। इसलिए राज्यों से निवेदन है कि फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना में तेज़ी लाएं और अभियोजन पक्ष को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए मज़बूत करें।

गृह मंत्रालय की ऐडवाज़री पुलिसिंग और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रदत्त कमियों को दूर करने की अच्छी कोशिश है। लेकिन, आगे का दायित्व राज्य सरकारों का है कि इसके अनुसार पुलिसिंग की कमियों को दूर करने के लिए वे किस प्रकार आवश्यक कदम उठाएंगे।

(डेली पायनियर डॉट कॉम, १८ मई २०१५)

पुलिस मुठभेड़ में एक और मौत

पुलिस ने १७ मई २०१५ को सागर रत्ना रेस्टॉरेंट में हुए शूट आऊट के मामले में ४ घंटे के बाद १२ बजकर २० मिनट पर मृतक कथित अपराधी मनोज वशिष्ट के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया था। इसमें सरकारी अधिकारी पर हमला करने और काम में बाधा डालने तथा हत्या का प्रयत्न करने के लिए आई.पी.सी. की धाराएं और आर्म्स ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई है।

एफ.आई.आर. में कहा गया है कि स्पेशल सेल की टीम मनोज वशिष्ट के वहां आने के बारे में सुराग मिलने पर वहां के लिए रवाना हुई थी जिसमें इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, एस.आई. भूप सिंह और विवेक सिंह तथा दो हेड कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल शामिल थे। ८ बजे इंस्पेक्टर कुमार उस जगह पहुंच गए और मनोज का फोटो, टीम के सभी सदस्यों को मोबाईल पर भेज दिया गया। एस.आई. भूप सिंह ने इसकी पुष्टि की कि मनोज अंदर मौजूद है।

इंस्पेक्टर ने कहा – 'टीम रेस्टॉरेंट के अंदर घुसी और टीम के सदस्यों ने क़ब्ज़ा कर लिया। मैंने पीछे से मनोज के कंधे पर हाथ रखकर अपनी पहचान बताते हुए उसे उठने को कहा। अचानक वह कुछ बड़ा और मुझे उसे पीछे से पकड़ना में। मेरी पकड़ से निकलते हुए उसने एक चमचमाती हुई पिस्तौल निकाल ली।'

फिर मनोज ने पिस्तौल तान दी जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उसे दोबारा पकड़ने और बन्दूक गिराने की कोशिश की। पल भर में वहां कोलाहल मच गया और लोग भागने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, "मैं और कांस्टेबल जितेन्द्र गिर गये। लेकिन मैं उठा और मनोज का हाथ पकड़कर बन्दूक गिराने की कोशिश करने लगा। अचानक उसने गोली चला दी। और लगभग एक साथ दो गोलियों की आवाज़ आई जिसके बाद मनोज ज़मीन पर गिर गया और उसका पिस्तौल छूट गया। बाद में, पता लगा कि भूप सिंह ने जवाब में पुलिसकर्मियों और आम लोगों की जान बचाने के लिए एक गोली चलाई थी।"

Source: http://www.ekantipur.com/2014/02/06/top-story/gangster-killed-in-police-encounter/384995.html

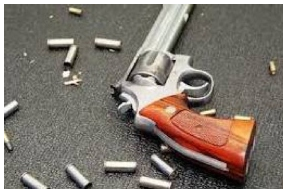

सत्य की प्रतीक्षा में!

उसके बाद रेस्टॉरेंट के एक कर्मचारी ने पी.सी.आर. को फोन किया जबकि कुमार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को।

पुलिस द्वारा मनोज नामक कथित ठग को पकड़ने की कोशिश के दौरान उसकी मृत्यु को मृतक के परिवारजनों ने सोची समझी साज़िश बताया और उन्होंने मृतक का शव लेने से भी इंकार कर दिया था। हालांकि, बाद में उसके परिवारजनों ने कमिश्नर बस्सी से मुलाक़ात की और यह आश्वासन मिलने पर कि वे इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराएंगे, शव को स्वीकार कर लिया। अब इसमें तीन जांच चल रही है – मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी, स्वतंत्र विजिलेंस जांच और एक ५ सदस्यीय एस.आई.टी. भी मामले की जांच कर रही है।

यह मृत्यु कार्यवाही के दौरान बचाव में चलने वाली गोली के कारण हुआ या 'अपराध ख़त्म करने के लिए सीधे कथित अपराधी को ही समाप्त कर दिया जाए' इस विचार के कार्यान्वयन का एक उदाहरण था यह तो जांच रिपोर्टों के आने के बाद ही पता लगेगा लेकिन अगर यह पुलिस के भयानक विचार का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था तो समाज के लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है जो 'कानून का राज' के सिद्धांत को ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता है।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १९ मई २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org